

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 27.03.26

क्रि. रीडर/2026/503)

प्रार्थनी

बनाम

अप्रार्थीगण

नेनू देवी पत्नि किशनाराम  
सुथार जाति सुथार निवासी  
हाजाणियों की ढाणी, मीठडा  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

1 अनिता पुत्री वागाराम 2 देवाराम पुत्र नारायण 3  
पेमी देवी पत्नी नारायण 4 भगाराम पुत्र नारायण 5  
बाबूलाल 6 भंवरलाल 7 रमेश कुमार पिसरान मेगा 8  
रावल पुत्र स्व. मोहनी देवी 9 लूणी देवी पत्नी मेगा  
10 शान्ति देवी पुत्री मेगा 11 सुआ देवी पुत्री मेगा  
जातियान दर्जी निवासीयान बक्से का तला तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण 12 चूनी देवी पत्नी चौखाराम 13  
चौथी देवी पत्नी हंजारीराम 14 पूराराम 15 पोक़राम  
16 रेखा पिसरान किशनाराम 17 रमकू पत्नी  
किशनाराम जातियान भील निवासी बक्से का तला  
तसहील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 15 शाखा  
प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा स्टेशन  
रोड बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-628/2025

दिनांक- 10/03/2026

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बक्से का तला पटवार हल्का खुडासा तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 345/31 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के  
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी  
नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान  
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ  
रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर

दिनांक- 27.03.26

क्रमांक :- रीडर/2026/5032-35

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुडासा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थनी नेनू देवी पत्नि किशनाराम सुथार जाति सुथार निवासी हाजाणियों की ढाणी, मीठडा तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अनिता पुत्री वागाराम वगैराह जातियान दर्जी निवासीयान बक्से का तला तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर